International Journal of Applied Research 2020; 6(8): 369-372

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2020; 6(8): 369-372
www.allresearchjournal.com
Received: 19-05-2020
Accepted: 13-07-2020

मुकेश कुमार निराला
शोध छात्र (भूगोल), अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

डॉ. एस.पी. पाण्डेय
प्राध्यापक भूगोल, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह उत्कृष्टता महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
मुकेश कुमार निराला
शोध छात्र (भूगोल), अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

मध्यप्रदेश के रीवा जिला में ठोस कचरा निष्पादन की प्रवृत्तिः स्वच्छ भारत अभियान के सन्दर्भ में एक भौगोलिक अध्ययन

मुकेश कुमार निराला एवं डॉ. एस.पी. पाण्डेय

शोध सारांश
मध्यप्रदेश के अन्य जिलों की भांति रीवा जिला में समग्र गंदगी उन्मूलन हेतु स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम जिले के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कई घटक तत्व समाहित है, जिनमें से एक ठोस कचरा निष्पादन कार्यक्रम संचालित है। ठोस कचरा के अन्तर्गत प्राकृतिक खाद्य पदार्थो के अपविष्टक, पशुओं द्वारा त्याज्य अपविष्टक, कृषि अपविष्टक एवं विभिन्न प्रकार के नगरीय सभ्यता जनित ठोस अपविष्टक सम्मिलित है, जिनके निष्पादन न होने पर विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएँ उत्सर्जित होकर राष्ट्रीय कार्यक्षमता को प्रभावित करती है। अध्ययन क्षेत्र रीवा जिला के 09 विकासखण्डों एवं 11 नगरीय इकाइयों में ठोस कचरा निष्पादन का कार्य संचालित हो रहा है। दैव निदर्शन विधि द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार जिले में 74.22 प्रतिशत प्रतिदिन, 19.93 प्रतिशत अगले दिन एवं 5.50 प्रतिशत कचरा कभी–कभी निष्पादित किया जाता है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन कचरे का निष्पादन किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरीय क्षेत्रों में कचरा निकलने की मात्रा बहुत अधिक है। ग्रामीण अंचलों में जहाँ कचरें का निष्पादन जलाकर या गड्ढे में डालकर मुख्यरूप से किया जाता है, वही नगरीय क्षेत्र में इसका निष्पादन गड्ढे में दबाकर किया जा रहा है। ठोस कचरा निष्पादन का प्रभाव ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या पर पड़ा हुआ दृष्टिगोचर होता है। साक्षात्कार में उत्तरदाताओं ने स्पष्टतः स्वीकार किया कि ठोस कचरा निष्पादन से 75 प्रतिशत तक की बीमार रहने की प्रवृत्ति में कमी आई है। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन कचरा निष्पादन संतोषप्रद नही है। अतः इसके निष्पादन के लिए ठोस कार्यवाही की आवश्यकता है।

मूल शब्द : ठोस कचरा, निष्पादन, त्याज्य पदार्थ, ग्रामीण एवं नगरीय, स्वास्थ्य समस्याएँ

प्रस्तावना
हमारे देश की जनसंख्या स्वच्छता के अभाव में आए दिन रूग्ण वनी रहती है। ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु में तो रोगियों की संख्या में अचानक वृद्धि हो जाती है। ऐसे रोगियों में उनकी संख्या अधिक होती है, जो स्वच्छता जनित साफ–सफाई के निर्देशों का अनुपालन नही करते। किसी राष्ट्र की जनसंख्या एवं उनके बीमार पड़ने की संख्या एवं अवधि का प्रत्यक्ष प्रभाव राष्ट्रीय कार्यक्षमता पर पड़ता है। राष्ट्रीय उत्पाद प्रभावित न हो इसके लिए समय–समय पर स्वच्छता कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए योजनाओं का रूपांकन किया गया, किन्तु 2014 के पूर्व ऐसी कोई योजना एवं कार्यक्रम पटल पर दृष्टिगोचर नही हुए जो एक साथ देश के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रमों को संचालित कर देश की जनसंख्या को गन्दगी जनित विभिन्न रोगों से वचाव कर सके। वर्ष 2014 में एक साथ राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान की आधारशिला रखते हुए समग्र स्वच्छता के अभियान को प्रारंभ किया गया।

स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम में उन समस्त घटकों के निष्पादन को सम्मिलित किया गया जो ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में गन्दगी उत्पन्न करने के मूल में होते है। इन विभिन्न घटकों में मानव मल–मूत्र निष्पादन के अतिरिक्त ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के तरल, ठोस एवं गैसीय अपविष्टक होते है, जिनका निष्पादन किया जाना मानव स्वास्थ्य के लिए अपरिहार्य होता है। ऐसे ठोस पदार्थो में खाद्य सामग्री के त्याज्य पदार्थ, पशु खाद्य पदार्थ एवं इनके द्वारा उत्सर्जित पदार्थ, कृषि अपविष्टक आदि प्रमुख है, जिनका निष्पादन आवश्यक होता है। प्रस्तुत अध्ययन मध्यप्रदेश के रीवा जिला में ठोस कचरा निष्पादन की प्रवृत्ति : एक भौगोलिक अध्ययन इसी संदर्भ में किया गया है।

विधि तंत्र
प्रस्तावित शोध कार्य मध्यप्रदेश के रीवा जनपद से सम्बन्धित है, जो दैव निदर्शन विधि द्वारा चयनित प्रत्येक विकासखण्ड के 02–02 ग्रामों कुल 18 ग्रामों तथा प्रत्येक ग्राम से 40 परिवारों एवं नगरीय केन्द्रों में रीवा नगर के दो वार्डों के प्रत्येक 20–20 परिवारों एवं अन्य सभी नगरों के एक–एक वार्ड

का चयन कर प्रत्येक वार्ड 20 परिवारों के साक्षात्कार द्वारा प्राप्त जानकारी के विश्लेषण पर आधारित है। अध्ययन में सांख्यिकीय विधियों एवं आरेखों का उपयोग किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय

मध्यप्रदेश के उत्तरी–पूर्वी भाग में 24°18′ उ.अक्षांश से 25°12′ उ. अक्षांश एवं 81°02′ पूर्वी देशान्तर से 82°20′ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित[1] रीवा जिले का प्रतिवेदित भौगोलिक क्षेत्रफल 6287. 5 वर्ग कि.मी. है। समग्र जिले को 09 विकासखण्डों एवं 11 तहसीलों में वर्गीकृत किया गया है। जिले का सीमांकन उत्तर एवं पूर्व में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एवं मिर्जापुर जनपदों, दक्षिण में सीधी एवं सतना जिले तथा पश्चिम में म.प्र. के सतना जिले द्वारा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस जिले में 2365106 व्यक्ति निवास कर रहे है, जिनमें 1225100 पुरुष एवं 1140006 महिला है।

ऐतिहासिक दृष्टि से रीवा जो कि रेवा का अपभ्रंश है, 12वीं शदी से निरन्तर बाघेल राजाओं के प्रभाव क्षेत्र में रहा।[2] भौमकीय दृष्टि से इस जिले में वलुहा पत्थर, चूना पत्थर एवं मृदामय चट्टाने संस्तरित पाई जाती है।[3] समग्र जिला उच्चावच की दृष्टि से स्पष्ट 02 भौतिक इकाईयों – उपरिहार प्रदेश (उच्च रीवा पठार) एवं तरहार प्रदेश (निम्न रीवा पठार) में वर्गीकृत है। टमस इस जिले की प्रमुख नदी है जो आगे चलकर सिरसा (उ.प्र.) के पास गंगा नदी में मिल जाती है। मानसूनी जलवायु, पर्णपाती वन, कम मूल्यवान खनिज इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 2365106 व्यक्ति है। कुल जनसंख्या में 69.79 प्रतिशत सामान्य, 16.22 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 13.99 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पायी जाती है। यह एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। धान, गेंहूँ, अलसी, चना अन्य मोटे अनाज मुख्य फसले है। कुल कृषित भूमि के 39.09 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है। आवागवन के साधनों में सड़क एवं रेल परिवहन पाये जाते है।

ठोस कचरा निपटान

मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली अधिकांश वस्तुएँ ठोस अवस्था में होती हैं, उपयोग के बाद बचे हुए उनके अवशेष कचरे का स्वरूप ग्रहण करते हुए मानव स्वास्थ्य के लिए छतिकारक होता है, उसे ठोस अपविष्टक अथवा ठोस कचरा के रूप में सम्बोधित करते है। ठोस कचरा निपटान स्वच्छता के लिएएक अपरिहार्य आवश्यकता है। अधिवासीय, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति के अनुसार प्रत्येक घरों से अलग–अलग प्रकार एवं मात्रा में ऐसे अवष्टिक निकलते हैं, उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों में जहाँ ठोस अपविष्टक के रूप में उपयोग के बाद बची हुई खाद्य सामग्री, ईधन के बचें हुए अवशेष, कृषि अपविष्टक एवं पशुओं द्वारा विसर्जित मल–मूत्र आदि प्रमुख होते हैं, वही नगरीय क्षेत्रों में घरेलू उपयोग वाली खाद्य सामग्री, सौन्दर्य प्रसाधन की वस्तुएँ, प्लास्टिक, कांच, लोहे के छोटे–छोटे टुकड़े, कागज एवं कागज की बनी हुई वस्तुएँ भवन सामग्री के अपविष्टक आदि प्रमुख है।[4] उक्त समस्त ठोस पदार्थ उपयोग के बाद शेष बच जाती है, जो धीरे–धीरे एकत्रित कचरे के ढेर में परिवर्तित हो कर लोगों को प्रभावित करती हैं। ठोस अपविष्टक से निकलने वाली विशैली गैस धीरे–धीरे मानव स्वास्थ्य को ह्रासित करती रहती है। अतः ग्रामीण एवं नगरीय दोनों ही क्षेत्रों में इनके निष्पादन कार्य प्रमुखता से किए जाने की आवश्यकता होती है।

ठोस कचरा के प्रकार एवं निष्पदित मात्रा

ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में ठोस अपविष्टकों की अलग–अलग प्रवृत्ति एवं मात्रा पायी जाती है।

1. ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न प्रमुख ठोस अपविष्टक

क्षेत्रीय सर्वेक्षण में उपलब्ध जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में निष्पादित ठोस अपविष्टक एवं उनकी अनुमानित मात्रा निम्नानुसार है–

1. खाद्य सामग्री के त्याज्य पदार्थ : सभी परिवार में खाद्य वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इन वस्तुओं में सब्जी–भाजी, विभिन्न प्रकार के अनाज चावल, दाल, आटा, रसोई के मसाले आदि के सहयोग द्वारा दोपहर एवं शाम का भोजन तैयार किया जाता है। इस पाक विधा से सब्जी के छिलके भोजनोपरान्त पके हुए खाद्यन्न के अंश अपविष्टक रूप में शेष बच जाते हैं, जिन्हें बाहर फेंक दिया जाता है। यदि 5 व्यक्तियों का परिवार है तो सब्जी एवं फल के छिलके सहित बचे हुए भोजन के अवशेष औसत 800 से 1100 ग्राम प्रतिदिन के दर से इस प्रकार के ठोस अपविष्टकों की मात्रा होती है।

2. पशु खाद्य पदार्थ : अध्ययन क्षेत्र एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ कृषि के साथ पशुपालन सहायक अर्थव्यवस्था के रूप में किया जाता है। पशुओं को खाद्य सामग्री के रूप में हरी घास, भूसा, बरसीन, चोकर व विभिन्न अनाजों के चूर्ण, खली आदि प्रदाय की जाती है। गरीब समुदाय के लोग अपने पशुओं को धान एवं कोदौ का पुआल, कांस–मूज, दूब, जैसी घासों को प्रदाय करते है। पशुओं को दिया जाने वाला अहार भी बगैर माप का रहता है, फलतः भोजनोपरान्त जानवर कुछ अपविष्टक छोड़ देते है, जिन्हें बाहर ढेर के रूप में एकत्रित किया जाता है। ऐसे उत्पाद प्रति पशु औसत 1500 ग्राम से 2500 ग्राम प्रतिदिन तथा भैस के मामले 3000 ग्राम से अधिक होता है।

3. पशुओं द्वारा त्याज्य पदार्थ : पशुओं द्वारा विष्टा के रूप में प्रतिदिन 10 किलोग्राम प्रति पशु डंग विसर्जित किया जाता है, जिसे परिसर में लोग एकत्रित करते रहते हैं।

4. कृषि अपविष्टक : जब फसलें पकती हैं, तो अनाज एवं भूसा मिलता है, अनाज लोग घर के अन्दर रखते हैं, जबकि भूसा, पुआल, डंठल आदि बाहर ढेर के रूप में एकत्रित कर देते हैं। भूसा चूर्ण के रूप में होने के कारा हवा के द्वारा इधर–उधर फैल जाता है। जबकि पुआल एवं डंठल के एकत्रित ढेरा से प्रदूषक सामग्री गैस के रूप में सृजित होकर फैलती रहती है। धान के पुआल में यदि पानी पड़ जाता है तो उससे प्रदूषक कार्बन डाईआक्साइड एवं मिथाइल गैर निकलकर लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। प्रति हैक्टयर कृषि जोत पर लगभग $1\frac{1}{2}$ से 2 ट्राली पुआल डंठल या भूसा सृजित होता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण सामग्री एवं ईधन के रूप में उप्पले, लकड़ी, घास–फूस उपयोग किया जाता है। जिनके फूटन ठोस अपविष्टक के रूप में विखर कर लोगों को प्रभावित करते रहते हैं।

2. नगरीय क्षेत्र में उत्सर्जित ठोस अपविष्टक

ग्रामीण क्षेत्रों की भाँति नगरीय क्षेत्रों में ठोस उपविष्टकों का उत्सर्जन भारी मात्रा में होता है, किन्तु इनकी प्रवृत्ति ग्रामीण क्षेत्रों से अन्शतः अन्तर लिए हुए दृष्टिगोचर होती है। रीवा जिला के नगरीय ठोस अपविष्टकों की प्रकृति एवं अनुमानित मात्रा (क्षेत्रीय सर्वेक्षण 2017–18) निम्नानुसार है :–

1. खाद्य सामग्री के अपविष्टक, जिसमें फल, सब्जी के छिलके, पके हुए भोजन के अवशेष भाग, जंगफूड के अवशिष्टक एवं उनकी पन्नी, आदि इस संवर्ग में सम्मिलित हैं, जो आवासीय भवनों, होटल, रेस्टोरेंट एवं बरातघरों से बड़े पैमाने पर बचती है।

2. भवन निर्माण सामग्री के अपविष्ठक यथा ईटा, सीमेन्ट, बालू, लोहे की कील, लकड़ी की सामग्री जो ईधर–उधर विखरी हुयी पड़ी होती है।
3. आबारा पशुओं के त्याज्य पदार्थ, मृत पशु, पक्षी आदि।
4. किचन गार्डेन या अन्य प्रकार की बगिया से निकले अपविष्टक।
5. अन्य उत्पाद यथा निर्माण उद्योग के अपविष्टक, मोटर–वाहन मरम्मत के समय निकलने वाले टायर–ट्यूब, खीले–पुर्जे, घरों एवं दफ्तरों से निकलने वाली पुरानी वस्तुएँ, कागज–गत्ते, पेपर के टुकड़े, बाटल के टूटन–फूटन, प्लास्टिक की सामग्री, पूँजन सामग्री आदि।

रीवा नगर में प्रतिदिन उपरोक्त विधि से निकले हुए ठोस अपविष्टक प्रति वार्ड 2.5 ट्राली कचरा निकलता है। छोटे नगरों में इनकी मात्रा $\frac{1}{2}$ ट्राली के लगभग रहती है।[5]

निष्कर्ष रूप में रीवा जिला के ग्रामीण एवं नगरीय दोनों ही क्षेत्रों से ठोस कचरा निकलता है, जिनके निस्पादन की महती आवश्यकता है।

ठोस अपविष्टक निष्पादन तकनीक

अध्ययन क्षेत्र में ठोस अपविष्टक निष्पादन को तकनीकों को मुख्य रूप से तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है –

1. ठोस अपविष्टक को घर से दूर एकत्रित करना।
2. ठोस अपविष्टक को जलाकर नष्ट करना।
3. ठोस अपविष्टक को भूमि के नीचे दाब कर रखना।

उपर्युक्त 03 तकनीकों में प्रथम 2 प्रकार की तकनीक ग्रामीण अंचलों में अधिक प्रचलित है, जबकि तीसरे क्रम की तकनीकों का प्रचलन नगरीय क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। यद्यपि तीनों प्रकार की तकनीका का प्रचलन आवश्यकतानुसार नगरीय एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में प्रयुक्त हो रहा है।

ठोस कचरा निपटान का स्वरूप क्या है? इसके अध्ययन के लिए विस्तृत क्षेत्रीय सर्वेक्षण में लिए गए साक्षात्कार से प्राप्त परिणामों का प्रयोग किया गया है। जिले के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में ठोस कचरा निपटन की प्रवृत्ति निम्नानुसार हैः–

1. ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा निपटन की प्रवृत्ति

जिले के सभी 09 विकासखण्डों के 02–02 ग्राम पंचायतों से प्रत्येक 20–20 परिवारों का दैव निदर्शन विधि द्वारा प्रतिचयन करते हुए कुल 18 ग्राम पंचायतों के 360 परिवारों का साक्षात्कार लिया गया। ठोस कचरा निपटान के सन्दर्भ में सभी 360 उत्तरदाताओं ने पूँछें गए प्रश्नों के उत्तर प्रदाय किए, जिसका परिणाम इस प्रकार रहा –

सारणी क्रमांक 1 : जिला रीवा : ग्रामीण क्षेत्र में ठोस अपविष्टक निपटारा स्वरूप

क्र.	विकासखण्ड	साक्षत्कार संख्या	प्रतिदिन		अतरे दिन		कभी–कभी		कभी नहीं	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	हुजूर	36	22	61.11	11	30.55	3	8.33	–	–
2.	रायपुर कर्चु.	34	23	67.65	9	26.47	2	5.88	–	–
3.	सिरमौर	32	21	65.62	10	31.25	1	3.13	–	–
4.	गंगेव	35	26	74.28	8	22.85	1	2.86	–	–
5.	नईगढ़ी	31	25	80.64	4	12.90	2	6.45	–	–
6.	मऊगंज	34	24	70.59	6	17.64	4	11.76	–	–
7.	हनुमना	32	26	81.25	4	12.50	2	6.25	–	–
8.	त्यौथर	29	27	93.10	2	6.89	–	–	–	–
9.	जवा	28	22	78.57	4	14.28	2	7.14	–	–
10.	जनपद रीवा	291	216	74.22	58	19.93	16	5.50	–	–

स्त्रोत : क्षेत्रीय सर्वेक्षण वर्ष 2019 पर आधारित

उपर्युक्त सारणी क्रमांक से स्पष्ट होता है कि जिले में निवास कर रही जनसंख्या द्वारा दैव निदर्शन द्वारा प्रत्येक विकासखण्ड से 02–02 ग्रामों के 20–20 परिवारों कुल 360 परिवारों से ठोस अपविष्टठक की सफाई की प्रवृत्तियों की जानकारी प्राप्त की गयी, जिनमें 291 परिवार के मुखिया उत्तर दिए। कुल उत्तरदाताओं में से 74.22 प्रतिशत लोगों ने घरेलू ठोस अपविष्टकों की सफाई प्रतिदिन किया जाना स्वीकार किया, जबकि 19.93 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा अतरे–दिन सफाई कार्य किया जाना स्वीकार किया, कभी–कभी सफाई करने वाले परिवार कुल उत्तरदाताओं के 5.50 प्रतिशत पाए गये जबकि ठोस अपविष्टकों की कभी सफाई न करने वालों की जनसंख्या का प्रतिशत जिले में निरंक पाया गया।

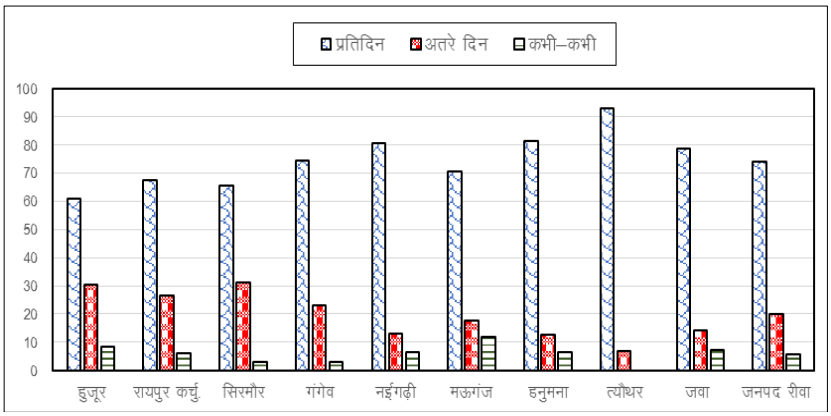

आरेख क्र. 1 : जिला रीवा : ग्रामीण क्षेत्र में ठोस अपविष्टक निपटारा स्वरूप का प्रतिशत

विकासखण्ड अन्तर्गत ठोस अपविष्टक निपटान प्रवृत्तियों में आंशिक अन्तर दृष्टिगोचर होता है। जिले के त्यौथर विकासखण्ड में 93.10 प्रतिशत लोग प्रतिदिन सफाई कार्य किया जाना स्वीकार किए जो अन्य सभी विकासखण्डों में सबसे अधिक प्रतिशत भाग है, जबकि सिरमौर विकासखण्ड में 65.62 प्रतिशत लोगों द्वारा प्रतिदिन ठोस अपविष्टकों का निपटान करते हैं, जो अन्य की तुलना में सबसे कम है। अतरे दिन ठोस अपविष्टक निष्पादन में सिरमौर विकासखण्ड अग्रणी तथा त्यौथर विकासखण्ड सबसे निचली पायदान पर है, जबकि कभी–कभी ठोस अपविष्टक निष्पादन में मऊगंज विकासखण्ड अग्रणी एवं गंगेव विकासखण्ड पीछे हैं

ग्रामीण क्षेत्र में ठोस अपविष्टक निष्पादन हेतु अपनायी जाने वाली विभिन्न विधियों में 22.50 प्रतिशत लोग जलाकर, 30.78प्रतिशत भूमि के नीचे दबाकर तथा 46.72 प्रतिशत लोग उक्त दोनों विधियों के साथ अन्य विधियों का उपयोग किया जाना स्वीकार किया। ज्ञातव्य हो कि क्षेत्र के लोग ठोस अपविष्टक को खुले गढ्ढे में डालते हैं, जिसे भूमि के नीचे दबाया जाना मानते हैं।

नगरीय क्षेत्र में ठोस अपविष्टक निष्पादन की प्रवृत्ति

नगरीय क्षेत्र में ठोस अपविष्टक की सफाई हेतु विभिन्न नगरों में निवासरत जनसंख्या से प्राप्त जानकारी के अनुसार शतप्रतिशत लोगों द्वारा प्रतिदिन ठोस विष्टक की सफाई किया जाना स्वीकार किया गया। साथ ही यह बताया गया कि प्रतिदिन ठोस कचरा एकत्रीकरण करने वाली कचरा गाड़ी द्वारा नगर के बाहरी भाग में उसे फेंक दिया जाता है। विभिन्न नगरों से प्रतिदिन कचरा निष्पादन की औसत मात्रा निम्नानुसार है :–

सारणी क्रमांक 2 : रीवा जिलाः नगरीय क्षेत्र से निष्पादित कचरा की मात्रा

क्रमांक	नगर	प्रतिदिन कचरे की मात्रा (ट्राली में)	रिमार्क (प्राविधिक)
1	रीवा	50	''
2.	गोविन्दगढ़	1.5	''
3.	गुढ़	1.5	''
4.	मनगवाँ	2.0	''
5.	सिरमौर	2.5	''
6.	सेमरिया	1.0	''
7.	बैकुन्ठपुर	1.0	''
8.	नईगढ़ी	1.5	''
9.	त्यौथर	1.5	''
10.	मऊगंज	3.5	''
11.	हनुमना	3.0	''
12.	चाकघाट	2.0	''
13.	जिला रीवा	71	''

स्त्रोत : (1) सम्बन्धित नगर निगम/पालिका 2019 प्रविधिक जानकारी (2) औसत प्रतिदिन

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि रीवा जिला के समस्त नगरों से प्रतिदिन ठोस अपविष्टक निष्पादन प्रतिदिन 71 ट्राली है। रीवा नगर निगम जो कि प्रथम श्रेणी का नगर है, में सबसे अधिक 50 ट्राली प्रतिदिन ठोस कचरे की सफाई कर नगर के बाहरी भाग में छोड़ा जाता है। सबसे कम ठोस कचरा सेमरिया एवं बैकुन्ठपुर नगर पंचायतों से 1–1 ट्राली निकलता है। रीवा नगर में ठोस कचरा निष्पादन हेतु प्लान्ट का निर्माण विश्वविद्यायल के समीप किया जा रहा है, किन्तु वर्तमान स्थिति में इसका निष्पादन जलाकर अथवा भूमि में दबाकर किया जा रहा है। नगर के पूर्वी भाग में स्थित कोष्टा ग्राम में, पश्चिम में करहिया ग्राम, दक्षिण में भटलो कचरा घर हैं, जहाँ कचरा फेका जाता है 2.5 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में कचरे से वदबूदार हवा (प्रदूषित वायु) लोगों को प्रभावित कर रही है। रीवा नगर की ही भांति अन्य नगरों में ठोस कचरा निष्पादन शहर के बाहर दबाकर अथवा जलाकर किया जा रहा है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में म.प्र. के रीवा जिला में ठोस कचरा निष्पादन की दिशा में स्नैह–स्नैह विकास पथ पर अग्रसर है। यद्यपि नगरीय क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र ठोस कचरा निपटान में बहुत पीछे है, तथापि जागरुकता में अभिवृद्धि के साथ ग्रामीण जन भी अपने घर एवं परिसर को स्वच्छ रखने का निरंतर प्रयास कर रहे है। स्वच्छता के इन प्रयासो का प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ने लगा है, इस रुझान के साथ निरन्तर घर–परिसर को साफ–सफाई की ओर लोगों की अभिरुचियाँ बढ़ी है।

सुझाव

नगरीय क्षेत्रों में शासकीय योजनाओं एवं सुलभ सेवाओं का उपयोग नगरवासियों द्वारा किया जा रहा है, किन्तु ग्रामीण स्तर पर पंचायतों के द्वारा समुचित ढंग से कार्य नही हो पा रहे है। समुचित ढंग से कार्य न हो पाने के प्रमुख कारणों में ग्रामीण क्षेत्रों का साक्षरता एवं आर्थिक सम्पन्नता में कमी का होना है, जिसके कारण लोग खुलकर इस संदर्भ में अपनी आवाज नहीं उठा पाने न स्वयं सफाई भार को वहन कर पाते। आवश्यकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की साक्षरता एवं आर्थिक क्रियाओं में अभिवृद्धि की शिक्षित एवं सम्पन्न ग्रामीण समाज निश्चित रूप से स्वच्छता की ओर अग्रसर हो सकेगा।

सन्दर्भ

1. धरातल पत्रक 63 एच. सर्वे ऑफ इण्डिया देहरादून 1992.
2. तिवारी, चन्द्रमणि प्रसाद – रीवा पठार के बाजार ग्राम एवं नगरीय केन्द्र, अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, अ.प्र. सिंह वि.वि. रीवा, 1990
3. जनगणना पुस्तिका जिला रीवा 2011, जनगणना निदेशालय नई दिल्ली – 2011.
4. क्षेत्रीय सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी पर आधारित 2017–18
5. साक्षात्कार आधारित जानकारी वर्ष जनवरी 2018.